न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– मूलचन्द आर.ए.एस

अपील संख्या 2010/00047 (80/2010)

बलवंत सिंह पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी हनुमानगढ़।

---अपीला

–: बनाम :–

1. हेतराम पुत्र धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी गिल्लवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

--- रेस्पोडेंटस

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 18.10.2010 प्रकरण संख्या 121/08 बअनवानी हेतराम बनाम बलवंतसिंह आदि न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी टिब्बी

श्री प्रद्युमन सिंह परमार अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 2

निर्णय दिनांक –30.01.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8(2) राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट का पेश किया, जिसमे चक 1 एफटीपीए के प.न. 218/226 कि.न. 24 मे 165 फुट लम्बा व किला नं. 25 मे 114 फुट लम्बा कुल 179 फुट लम्बा व एक गट्ठा चौडा रास्ता स्वीकृत करने की मांग की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता स्वीकृत किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत पटवारी हल्का की रिपोर्ट को दरकिनार कर निर्णय पारित किया है। प.न. 218/226 कि.न. 24 व 25 मे ग्वार व नरमा की फसल काश्त की हुई है व मौका पर कोई रास्ता चालू नही है। प.न 218/226 के कि.न. 24 व 25 जो नहर की पटरी के चिपते है, मे से धोरी खाला भ

राजस्व अपील प्राधिकारी

चालू हैं कानूनन खाला व रास्ता एक ही बीघा मे नही दिये जा सकते है। जबकि रेस्पो0 सं. 1 को अपनी कृषि भूमि मे जाने के लिए सुलभ मार्ग उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के कि.न. 24 व 25 मे से रास्ता स्वीकृत कर नहर की पटरी तक रास्ता दिया गया है जबकि उक्त रास्ता का नहर की पटरी तक जाने का कोई औचित्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यो को नजरअंदाज कर अपने अधिकार क्षेत्र का दुरूपयोग करते हुए निर्णय पारित किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित करने से पूर्व रेस्पो0 सं. 2 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन कर निर्णय पारित किया जाना था। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्ती योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. 2 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। इस न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं बहस का अध्ययन एवं मनन किया गया। रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन हेतु रास्ता की मांग गई। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 सं. 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत किया गया है। अपील मे अपीलांट का तर्क है कि रेस्पो0 सं. 1 को अन्य रास्ता उपलब्ध है। किन्तु वह अन्य रास्ता कौनसी भूमि मे से है, इस बाबत पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट नही होता है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार कि.न. 24 व 25 मे से रास्ता चालू नही होना अंकित किया है किन्तु यह भी स्पष्ट नही है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे आवागमन का रास्ता किस तरफ से है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के खेत मे आवागमन हेतु जो रास्ता स्वीकृत किया है, वह आवश्यक है। प्रार्थी के खेत मे आवागमन के लिए कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजो के

राजस्व अपील प्राधिकारी
(राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आधार पर रास्ता स्वीकृत किया है जिसमे परिवर्तन किये जाने का कोई अन्य आधार नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

6. उपरोक्त विवेचन के आलोक मे अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.10.2010 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(मूलचन्द आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)